कार्यालय अंचल अधिकारी, मुरहू

प्रेषक,

अंचल अधिकारी
मुरहू ।

पत्रांक 476 / रा0
दिनांक 22/06/2018

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
खूँटी।

विषय :– **आवेदक श्री फुलेन्द्र महतो का जमीन विवाद संबंधित आवेदन पत्र के संबंध में जाँच प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।**

प्रसंग :– **भवदीय पत्रांक 403 दिनांक 31.05.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एंव प्रसंगधीन पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि मौजा :– घाघरा के खाता सं० 02, प्लॉट सं० 257, 178 एवं 460 रकबा क्रमशः 0.47, 0.60, 0.42, कुल :– 1.49 ए0 भूमि सर्वे खतियान में बकास्त मालिक नाम लगान पाने वाला घनश्याम मांझी दर्ज है। खाता सं० 02, प्लॉट सं० 257, 178, एंव 460 रकबा कमश :– 0.71,0.90,एंव 0.63 कुल रकबा 2.24 ए0 भूमि कंगाली महतो के नाम से पूर्व मे दाखिल खारिज वाद सं० 15 R 27/71–72 के आधार पर पंजी II के पेज नं० 35 भौलुम I में दर्ज है। वर्ष 2006–07 में खाता सं० 02, प्लॉट सं० 257, 178,एंव 460 कुल रकबा 1.49 ए० भूमि रामनाथ महतो, पिता–विशुन दयाल महतो के नाम से दाखिल– खारिज वाद सं० 220/R27/06-07 के आधार पर पंजी II में दर्ज किया गया है। न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता खूँटी के पत्रांक 47/न्या0 दिनांक 13.12.2011 के आदेशनुसार प्रथम जमाबन्दी को कायम रखते हुए बाद में कायम जमाबन्दी यथा दाखिल खारिज वाद सं0 220R27/06–07 को विलोपित किया गया है। इस संबंध में आवेदक को सक्षम न्यायलय में अपील हेतु जानकारी दी गई है।

अतः प्रतिवेदन सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई समर्पित।

विश्वासभाजन

21/6/18

अंचल अधिकारी,
मुरहू

21/6/18

o/c